X

अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों को जारी रखते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और डाटा प्रसारण, संस्था-व्यापी जोखिम प्रबंधन(ईआरएम), अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजभाषा के प्रोत्साहन की दिशा में की गई पहल प्रमुख रही हैं। वित्तीय, मौद्रिक और आर्थिक मामलों के संबंध में ज्ञान के प्रसार के अभियान के रूप में पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ("आरबीआई पॉलिसी चैलेंज") प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। बैंक ने अपने प्रमुख प्रकाशनों, अनुसंधान आलेखों तथा सम्मेलनों को जारी रखा है; वर्ष 2015-16 के दौरान डाटा प्रसारण को काफी विस्तार भी प्रदान किया गया है। रिज़र्व बैंक की जोखिम रजिस्टर तैयार करने की नवोन्मेषी प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा के रूप में माना गया है। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में भारत ने नेतृत्व की भूमिका अदा की है जो ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था(सीआरए) तथा सार्कफाइनांस सिंपोजियम से प्रतिबिंबित होता है। वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा स्वर्ण जयंती आयोजन के रूप में अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

X.1 इस अध्याय में 2015-16 के दौरान विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का सारांश दिया गया है और 2016-17 के लिए प्राथमिकताओं/कार्यसूची का निधारण किया गया है। इसमें संगठनात्मक संरचना में बदलाव, अभिशासन-गतिविधियों और नई भर्तियों तथा विभिन्न अभिनव चैनलों का प्रयोग करते हुए विद्यमान स्टाफ सदस्यों के हुनर और ज्ञान को नवीनतम बनाते हुए मानव संसाधन को मजबूत बनाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों में वित्तीय, मौद्रिक और आर्थिक विषयों से संबंधित ज्ञान का प्रसार करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही रोचक तरीके से बहुत सी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया यथा - क्विज, निबन्ध-लेखन और रोचक फार्मेट में समस्यापूर्ति।

X.2 अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में यह साल उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारत की नेतृत्वपूर्ण भूमिका से परिपूर्ण रहा, यह बात ब्रिक्स की प्रासंगिक रिज़र्व व्यवस्था से संबंधित कार्य; सार्क फाइनान्स गवर्नर सिम्पोजियम के आयोजन; अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय विन्यास में महत्वपूर्ण अभिमत; विश्वव्यापी वित्तीय विनियामक विषयों और हरित वित्त; और जी-20 में चीन की अध्यक्षता में संरचनागत सुधार कार्यसूची में प्रकट होती है। इसके अलावा सांविधिक प्रकाशनों, नीति आधारित अनुसंधान, सेमिनारों, डाटा प्रबन्धन, सर्वेक्षणों और रिपोर्टिंग प्रणाली में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए डाटा के प्रचार-प्रसार मानकों के संबंध में महत्वपूर्ण मानक हासिल किए गए। नई वेबसाइट, त्वरित संप्रेषणों, बैंकिंग हॉल कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन के साथ संप्रेषण नीति ने भी पहले के सभी बेंचमार्क पार कर लिए।

X.3 जोखिम का सम्यक आकलन करने की दृष्टि से 2015-16 के दौरान तीन-स्तरीय संस्था-व्यापी जोखिम प्रबन्धन (ईआरएम) संरचना की कल्पना की गई। जोखिम आकलन और सुनिश्चयन के लिए रिज़र्व बैंक में आंतरिक ऑडिट संक्रियाएं भी की गईं। वर्ष के दौरान दो विभागों ने लागत और परिचालनगत दक्षता हासिल करने पर फोकस करते हुए कार्य किया, जिसमें दर्पण (ईडीएमएस) नामक परियोजना का आरंभ किया जाना भी शामिल है। राजभाषा के सांविधिक उपबन्धों के अनुपालन के अलावा राजभाषा विभाग ने विभिन्न प्रशिक्षणों, सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन किया जबकि संपदा विभाग ने रिज़र्व बैंक के लिए आधारभूत संरचना के सृजन, रखरखाव और इसे नवीनतम बनाए रखने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान विभिन्न विधिक लैंडमार्क भी प्राप्त किए गए।

अभिशासन संरचना

X.4 रिज़र्व बैंक के अभिशासन की संरचना में गवर्नर की अध्यक्षता में केंद्रीय निदेशक बोर्ड शीर्षस्थ निकाय है। इसमें रिज़र्व बैंक के गवर्नर और उप गवर्नरों, सरकार के नामितियों और स्वतंत्र निदेशकों का समावेश है। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी प्रान्तों के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं जो स्थानीय हितों का ध्यान रखते हैं। भारत सरकर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों और स्थानीय बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है। केंद्रीय बोर्ड की सहायता तीन समितियों द्वारा की जाती है यथा केन्द्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) और भुगतान तथा निपटान प्रणाली विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों की अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है। इसके अलावा केन्द्रीय बोर्ड की चार उप-समितियां भी हैं यथा- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)। इन उप-समितियों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

केंद्रीय बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड समितियों की बैठकें

X.5 केंद्रीय बोर्ड ने 2015-16 के दौरान अपनी छह बैठकों का आयोजन चेन्नै, मुंबई (दो बैठकें), आयज़ोल, कोलकाता और नई दिल्ली में किया। भारत के वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में 12 मार्च 2016 को आयोजित बजट-उपरांत बैठक को संबोधित किया। गवर्नर महोदय ने मिज़ोरम के गवर्नर और आयज़ोल में मिज़ोरम के मुख्यमंत्री के साथ 15 अक्तूबर 2015 को बातचीत की। इस बैठक का फोकस राज्य में वित्तीय समावेशन और क्रेडिट वितरण पर रहा।

X.6 वर्ष के दौरान सीसीबी ने 47 बैठकों का आयोजन किया जिसमें से 22 बैठकों का अयोजन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ। सीसीबी ने रिज़र्व बैंक के वर्तमान कारोबार पर ध्यान दिया जिसमें कार्यचालन के साप्ताहिक विवरण का अनुमोदन भी शामिल रहा। बाह्य निदेशकों को बारी-बारी से सीसीबी बैठकों में आमंत्रित किया गया।

X.7 जिस प्रान्त में स्थानीय बोर्ड कार्यचालन नहीं कर पाते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख के लिए केन्द्रीय बोर्ड ने 2014-15 में केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का गठन किया, इस समिति ने क्षेत्र-विशेष मुद्दों से संबद्ध समस्याओं और प्रयोजनों पर विचार करने के लिए चारों प्रान्तों में बैठकों (कुल चार बैठक) का आयोजन किया।

निदेशकों की उपस्थिति

X.8 केन्द्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप-समितियों की बैठकों में निदेशकों की सहभागिता के विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड - परिवर्तन

X.9 डॉ. ऊर्जित आर. पटेल को 11 जनवरी 2016 से अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए उप-गवर्नर के पद पर पुन: नियुक्त किया गया। श्री हारून आर. खान, उप गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने पर 4 जुलाई 2016 के पूर्वाह्न में उप गवर्नर के पदभार से मुक्त हो गए। श्री खान के स्थान पर श्री एन. एस. विश्वनाथन को 4 जुलाई 2016 से तीन वर्ष की अवधि के लिए उप गवर्नर नियुक्त किया गया।

X.10 सुश्री अंजुलि छिब दुग्गल, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार और श्री शक्तिकांत दास, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को क्रमशः 3 सितंबर 2015 और 30 अक्तूबर 2015 से डॉ. हसमुख आढिया, और श्री अजय त्यागी के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (डी) के तहत केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक के रुप में नामित किया गया।

X.11 श्री नटराजन चन्द्रशेखरन, श्री भरत नरोत्तम दोशी और श्री सुधीर मांकड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड में

4 मार्च 2016 से चार वर्ष की अवधि के लिए निदेशकों के रुप में नामित किया गया।

X.12 श्री दीपांकर गुप्ता, श्री जी. एम. राव, श्रीमती इला भट्ट, प्रो. इंदिरा राजारामन और श्री वाई. एच. मालेगाम जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किए गए थे, अवधि पूरी होने के बाद बोर्ड के सदस्य नहीं रह गए।

X.13 श्री किरन कर्णिक और डॉ. अनिल काकोडकर का कार्यकाल 22 सितम्बर 2015 को पूरा हो गया और वे क्रमशः पश्चिमी और उत्तरी स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के तौर पर नहीं रहे। इसके परिणामस्वरूप और समवर्ती तौर पर वे केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के रूप में भी नहीं रह गए। अपना-अपना कार्यकाल पूरा होने पर श्रीमती अनिला कुमारी और श्री शरीफ-उज्जमान लस्कर पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रह गए। कार्यकाल पूरा होने पर श्री ए.नवीन भंडारी उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर नहीं रह गए। अपना-अपना कार्यकाल पूरा होने पर श्री के. सेल्वाराज और श्री किरन पांडुरंग दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के तौर पर नहीं रह गए।

कार्यपालक निदेशक - परिवर्तन

X.14 कार्यपालक निदेशक श्री जसबीर सिंह और श्री पी. विजय भास्कर क्रमशः 31 अक्तूबर 2015 और 29 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री दीपक सिंघल और श्री बी.पी. कानुन्गो की क्रमशः 1 नवम्बर 2015 और 1 मार्च 2016 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति हुई। श्री सुदर्शन सेन को 4 जुलाई 2016 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

श्रद्धांजलि

X.15 भारतीय रिज़र्व बैंक में 30 जनवरी 1992 से 30 सितम्बर 1996 तक उप गवर्नर रह चुके श्री एस. एस. तारापोर का मुंबई में 2 फरवरी 2016 को निधन हो गया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.16 केन्द्रीय बोर्ड की समिति की ई-बैठकों की शुरुआत 2014 में हुई। अभिशासन में कार्यपालाकों के समय और लागत को इष्टतम करने के प्रयोजन से इन बैठकों का आयोजन हर दूसरे सप्ताह किया जाता है। अब इस प्रणाली में स्थायित्व आ चुका है इसलिए जुलाई 2016 से इन बैठकों के आयोजन की बारंबारता बढ़ाई जाएगी, और प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आमने-सामने बैठकर की जाएगी। इसके अलावा, पर्यावरण हितैषी प्रयासों के तौर पर केन्द्रीय बोर्ड और इसकी समितियों/उप समितियों की विभिन्न बैठकों की कार्यसूचियां सहभागियों को सॉफ्ट रूप में देने का प्रस्ताव किया गया है। रिज़र्व बैंक के भवनों में प्रदर्शित करने के लिए कलाकृतियों का भी अधिक्रय किया जाएगा ताकि उदीयमान कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस प्रयोजन से कलाकृति अधिक्रय नीति तैयार की गई है।

संप्रेषण प्रक्रियाएं

X.17 रिज़र्व बैंक गतिमान संप्रेषण नीति रखने के अपने लक्ष्य पर क़ायम रहा ताकि स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति तीव्र अनुक्रिया हो सके। इसी सम्यक लक्ष्य के दायरे में संचार विभाग का यह अथक प्रयास रहा कि द्विमार्गी संप्रेषण के माध्यम से रिज़र्व बैंक और जनता के बीच लाभदायक और सार्थक साझेदारी का निर्माण और पोषण किया जाए। यह अपने विभिन्न हितधारकों को न केवल स्पष्ट, सामयिक और विश्वसनीय रीति से नीति और इसके औचित्य का प्रचार-प्रसार करता है, बल्कि नीति पर लगातार फीडबैक प्राप्त करने का भी प्रयास करता है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

वेबसाइट

X.18 रिज़र्व बैंक की नए तरीके से तैयार की गई वेबसाइट अप्रैल 2015 में शुरू की गई जिसने विभाग के संप्रेषण उपायों को सुदृढ़ता प्रदान की। प्रौद्योगिकीय उन्नयन के अलावा अब यह वेबसाइट प्रयोक्ता के लिए अधिक सुगम बना दी गई है। इस वेबसाइट को टिवटर और यूट्यूब जैसी दो सोशल मीडिया

साइटों के साथ जोड़ दिया गया है। सभी महत्वपूर्ण प्रकाशनों को वेबसाइट पर प्रकाशन के साथ ही स्वतः ट्वीट कर दिया जाता है; यूट्यूब पर शीर्षस्थ प्रबंधनतंत्र द्वारा भाषण, मीडिया के साथ साक्षात्कारों और प्रेस सम्मेलनों का प्रकाशन होता है। मौद्रिक नीति पर द्विमासिक वक्तव्यों के बारे में नीति की घोषणा के उपरांत होने वाली गवर्नर-कांफ्रेंस एवं उनके टेलीविज़न चैनलों पर दिए गए साक्षात्कारों को यूट्यूब के माध्यम से तथा रिज़र्व बैंक वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग से प्रचारित किया गया। इस पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित वित्तीय शिक्षण फिल्में भी दिखाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में फेसबुक और लिंक्डइन को भी जोड़ा जा रहा है ताकि रिज़र्व बैंक को युवाओं के लिए अधिक आकर्षक और सुगम्य संस्था के रूप में दिखाया जा सके।

संप्रेषण नीति की समीक्षा

X.19 रिज़र्व बैंक की संप्रेषण नीति की समीक्षा करने के लिए कार्यपालक निदेशक, डॉ. एम.डी.पात्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने विभिन्न सम्बद्ध विषयों पर परिचर्चा के लिए कई बैठकों का अयोजन किया और सम्प्रेषण के प्रभारी उप गवर्नर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मौद्रिक नीति संप्रेषण

X.20 प्रत्येक द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा के प्रचार-प्रसार के लिए सम्यक संप्रेषण गतिविधियां संचालित की गईं। अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषकों के साथ प्रेस सम्मेलनों और टेलि कान्फ्रेंस के अलावा मीडिया द्वारा गवर्नर के साक्षात्कार अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किए गए ।

बैंकिंग हॉल समारोह

X.21 वर्ष 2015-16 के दौरान आंतरिक सम्प्रेषण में सुधार करने के प्रयास में विभाग ने विभिन्न कार्यालयों में गवर्नर के लिए स्टाफ-सदस्यों के साथ संवाद करने हेतु बैंकिंग हॉल समारोहों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान छह बैंकिंग हॉल समारोहों का आयोजन (चेन्नै, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, जम्मू, भोपाल और भुवनेश्वर में) किया गया।

जागरूकता अभियान और विज्ञापन

कपटपूर्ण ई-मेल

X.22 प्रसार भारती, आकाशवाणी, एफएम चैनलों और अन्य निजी चैनलों पर नवंबर और दिसम्बर 2015 में "धन देने का वादा करने वाले ई-मेल/ एसएमएस/फोन कॉल/नकली क्रेडिट कार्ड के चक्कर में धोखा न खाएं" शीर्षक से धन देने का वादा करने वाले कपटपूर्ण ई-मेल के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

सरकारी स्वर्ण बॉन्ड

X.23 एफ एम चैनलों पर 18 और 19 नवंबर 2015 को सरकारी स्वर्ण बॉन्ड स्कीम 2015 के बारे में प्रसारण करके जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड स्कीम 2015 के बारे में जनवरी और मार्च 2016 में अंग्रेजी, हिंदी और 11 स्थानीय भाषाओं के अखबारों में जन-जागरूकता अभियान के दो चक्र प्रकाशित किए गए।

बैंक नोटों में सुरक्षा के अतिरिक्त फीचर

X.24 बैंक नोटों में 2015-16 में शुरू किए गए तीन अतिरिक्त सुरक्षा फीचरों की जानकारी देने के लिए रिज़र्व बैंक और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के उपभोक्ता कार्य विभाग ने संयुक्त रूप से सितंबर 2015 में 'जागो ग्राहक जागो' अभियान के नाम से करेंसी के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान समस्त देश में 1,055 अखबारों में तीन अलग-अलग डिजाइन-सेट का प्रयोग करते हुए 13 भाषाओं में चलाया गया।

विज्ञापन

X.25 विभिन्न विभागों की तरफ से जुलाई 2015 और जून 2016 के दौरान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं के अखबारों में 127 नियमित विज्ञापन प्रकाशित कराए गए। इन विज्ञापनों में निविदाओं हेतु नोटिस, भर्ती, अनुरोध-प्रस्ताव और रुचि प्रकटन का समावेश था।

मीडिया के लिए कार्यशाला

X.26 यह देखते हुए कि रिज़र्व बैंक के लिए मीडिया प्रमुख संभाषणकर्ता है, इसलिए इस विभाग का प्रयास रहता है कि मीडिया

के प्रश्नों और सुझावों का समय-बद्ध तरीके से जवाब दिया जाए। रिज़र्व बैंक मीडिया के लिए ब्रीफिंग/कार्यशालाओं का आयोजन करता है ताकि इसकी समझ को बढ़ाया जा सके और रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रमुख नीतिगत घोषणाओं तथा इसके प्रकाशनों यथा वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की पहुँच को बढ़ाया जा सके। विगत की तरह से ही विभाग ने रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों के बारे में मीडिया के लिए वार्षिक कार्यशाला का आयोजन किया। वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुरोध पर नेपाल के मीडिया के लोगों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.27 संचार विभाग महत्वपूर्ण विनियामक और बैंकिंग से संबंधी विषयों के बारे में मीडिया के लिए कार्यशालाओं/सत्रों का आयोजन करके अपने हितधारकों के साथ अपने कार्यों को निरंतर अंजाम देता रहेगा। संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, विभाग नागरिकों को विज्ञापन तथा रेडियो/टीवी मुहिम के माध्यम से शिक्षित करना जारी रखेगा। यह कार्य रिज़र्व बैंक के विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आम आदमी और वित्तीय शिक्षण के लिए वेबसाइटों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया जाएगा। फेसबुक और लिंक्डइन के माध्यम से भी हितधारकों के साथ संपर्क बनाए रखा जाएगा।

मानव संसाधन प्रयास

X.28 मानव संसाधन प्रबंध विभाग व्यापक आधार वाली संरचना पर कार्य करता है और रिज़र्व बैंक की दक्षता में बढ़ोतरी, स्टाफ सदस्यों से सर्वोत्तम कार्य निष्पादन के माध्यम से और भरोसेमंद वातावरण तैयार करके केंद्रीय बैंकिंग क्रियाकलापों को सुगम बनाता है।

विनियामक/अन्य गतिविधियाँ

प्रशिक्षण

X.29 रिज़र्व बैंक अपने मानव संसाधन में तकनीकी और व्यवहार कुशलता का विकास करने के लिए आवश्यक ज्ञान और हुनर प्रदान करने को तत्पर रहता है। यह अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत विकास करने और कार्य के प्रभावी बनाने में भी मदद करता है। रिज़र्व बैंक के छह प्रशिक्षण प्रतिष्ठान-रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै; कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे; और मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र इसकी प्रशिक्षण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हैं(सारणी X.1)।

सारणी X.1: रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान -आयोजित कार्यक्रम (जुलाई - जून)

प्रशिक्षण प्रतिष्ठान	2013-14		2014-15		2015-16	
	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै	105	2,560	141	2,626*	125	2,741*
सीएबी, पुणे	127	3,909	215	7,183*	198**	7,580*
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी I)	99	2,222	105	2,241	97	2,055
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी III)	70	1,510	98	2,036	102	2,247
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी IV)	37	725	53	1,041	38	807

टिप्पणी * : विदेशी सहभागी शामिल हैं।
** : एमएसएमई क्षेत्र के वित्तीयन हेतु बैंकरों में क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय अभियान (एनएएमसीएबीएस) के कार्यक्रम शामिल है, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर भी आयोजित किए गए।

बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण

X.30 वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने 470 अधिकारियों को भारत में बाहरी प्रबंधन/बैंकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में प्रतिनियुक्त किया। रिज़र्व बैंक ने 55 से भी अधिक देशों की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में 599 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। (सारणी X.2)।

स्वर्णजयंती छात्रवृत्ति और अध्ययन अवकाश योजना

X.31 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति स्कीम की समीक्षा 2015 में की गई। विदेशों में अध्ययन के लिए चयन किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या को छह से बढ़ाकर आठ और ऊपरी आयु सीमा को 45 से बढ़ाकर 48 वर्ष किया गया। सन 2015 में आठ अधिकारियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के दस अधिकारियों ने उच्चतर अध्ययन के लिए स्वर्ण जयंती स्कीम के अलावा अन्य स्कीमों का लाभ उठाया। इसके अलावा 325 कर्मचारियों ने रिज़र्व बैंक की प्रोत्साहन स्कीम के तहत चुनिंदा पार्टटाइम/दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययन किया।

अनुदान और वृत्तिदान

X.32 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी अनुसंधान विकास संस्थान, मुंबई को ₹ 260 मिलियन; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र, मुंबई को ₹ 60 मिलियन; राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, पुणे को ₹ 15.4 मिलियन, भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी को ₹ 3.7 मिलियन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंडिया आब्जर्वेटरी और दि आइ.जी. पटेल चेयर, लंदन को ₹ 9.70 मिलियन की सहायता की।

सारणी X.2: भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2013 - 14	798	530
2014 - 15	906	562
2015 - 16	470	599

औद्योगिक संबंध

X.33 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर शांतिपूर्ण बने रहे। कर्मचारियों से संबंधित सेवा शर्तों और कल्याण संबंधी उपायों के बारे में रिज़र्व बैंक ने अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगार के मान्यता प्राप्त एसोशिएसनों/फेडरेशनों के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी संशोधन किया।

अधिवर्षिता लाभ

X.34 पेंशनभोगियों/सेवानिवृत्त लोगों से पेंशन की स्थितियों में सुधार के लिए की गई मांग अनिर्णीत ही रह गई और रिज़र्व बैंक इसके शीघ्र समाधान के लिए भारत सरकार से विचार-विमर्श कर रहा है।

भर्ती और स्टाफ संख्या

X.35 वर्ष 2015 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान रिज़र्व बैंक में 723 कर्मचारियों की भर्ती की गई। इनमें से अनुसूचित जाति से 96 और अनुसूचित जनजातियों से 54 व्यक्तियों को लिया गया जो कि कुल भर्ती का 20.75 प्रतिशत है (सारणी X.3)।

X.36 भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों के कारण ग्रेड 'बी' (सीधी भर्ती) अधिकारियों के भर्ती चक्र में 2012-2013 में लगने वाली 14 माह से अधिक की अवधि में 2015-16 में लगभग छह माह की कमी हुई।

X.37 रिज़र्व बैंक में 31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पहले 16, 794 की तुलना में 15, 854

सारणी X.3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2015 में की गई भर्तियां *

भर्ती की श्रेणी	श्रेणी अनुसार स्टाफ संख्या				
	कुल	*जिसमें से*		प्रतिशतता	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	128	10	8	7.81	6.25
श्रेणी III	553	83	42	15.01	7.59
श्रेणी IV					
(क) अनुरक्षण परिचर	-	-	-	-	-
(ख) अन्य	42	3	4	7.14	9.52
कुल	**723**	**96**	**54**	**13.28**	**7.47**

* जनवरी-दिसंबर

है। कुल स्टाफ संख्या में 19.55 प्रतिशत अजा से और 6.63 प्रतिशत अजजा से सम्बद्ध हैं (सारणी X.4).

X.38 रिज़र्व बैंक में 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या 15, 693 है। इनमें से श्रेणी-I में 6,932 श्रेणी III में 4,119 और श्रेणी IV में 4,642 स्टाफ सदस्य थे।

X.39 रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के बारे में 2015 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान प्रबंधन वर्ग और ऑल इंडिया रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अजजा और बुद्धिष्ट फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ चार बैठकें हुईं। केंद्र सरकार की नीति के अनुसरण में रिज़र्व बैंक द्वारा 8 सितंबर 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। रिज़र्व बैंक में अन्य पिछड़ा वर्ग (सितंबर 1993 के बाद भर्ती किए गए) के सदस्यों की संख्या 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार 1,923 थी। इसमें श्रेणी-I के 560; श्रेणी-III में 729 और श्रेणी-IV में 643 स्टाफ सदस्य थे।

X.40 रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 31 दिसम्बर 2015 के अनुसार 991 थी। इन में से श्रेणी-I में 187, श्रेणी III में 169 और श्रेणी IV में 635 सदस्य थे। बैंक में 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार श्रेणी-I, श्रेणी-III और श्रेणी-IV में क्रमशः 215, 85 और 91 स्टाफ-सदस्य अशक्त व्यक्तियों में से थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

X.41 रिज़र्व बैंक में 1998 से ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था विद्यमान है। इसे और भी मजबूत बनाते हुए 2014-15 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निषेध, बचाव और निवारण) अधिनियम और नियम 2013 के अनुसार समेकित दिशानिर्देशों का नया सेट जारी किया गया। वर्ष 2015 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सारणी X.4: रिज़र्व बैंक में स्टाफ संख्या *

वर्ग	वर्गानुसार संख्या						कुल संख्या में प्रतिशतता	
	कुल संख्या		अजा		अजजा		अजा	अजजा
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	7,565	7,233	1,128	1,062	479	434	14.7	6.0
श्रेणी III	3,573	3,756	499	552	193	212	14.7	5.6
श्रेणी IV	5,656	4,865	1,740	1,486	446	405	30.5	8.3
कुल	**16,794**	**15,854**	**3,367**	**3,100**	**1,118**	**1,051**	**19.6**	**6.6**

*: दिसंबर के अंत की स्थिति।

X.42 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में विद्यमान व्यवस्था के बारे में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा चेन्नै स्थित रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी शिकायत समितियों के सदस्यों के लिए लैंगिक भेदभाव के बारे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध, बचाव और निवारण विषय पर 03-05 मार्च 2016 के दौरान अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की शिकायत समितियों के सदस्यों ने भाग लिया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

X.43 रिज़र्व बैंक ने 2015-16 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना हेतु 11,758 अनुरोध प्राप्त हुए और 1,477 प्रथम अपील प्राप्त हुई, जिनमें सभी का जवाब दिया गया। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों पर आरटीआई आधिनियम के बारे में छह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

समाधान और अन्य प्रयास

X.44 रिज़र्व बैंक ने 2014-15 में समाधान नामक मानव संसाधन रूपांतरण परियोजना आरंभ की, ताकि कर्मचारियों को एक समान और नियम-आधारित एचआर सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके कार्यान्वयन का प्रथम चरण पूरा होने वाला है। वेतन और अनुलाभों तथा कुछ अग्रिमों के माड्यूल को क्रियाशील किया गया। यह पोर्टल रिज़र्व-बैंक में सभी प्रयोक्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है। एक बार प्रथम चरण पूरा हो जाने के बाद द्वितीय चरण का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया जाएगा।

वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग हेतु रिट्रीट

X.45 रिज़र्व बैंक वरिष्ठ प्रबंधनवर्ग हेतु रिट्रीट 2015 का आयोजन अक्तूबर 2015 में किया गया जिसका व्यापक विषय था 'लोक निगरानी और आंतरिक अभिशासन : इष्टतम मिश्रण और इसे कैसे प्राप्त किया जाए।'

आरबीआई क्यू और आरबीआई नीतिगत परिवर्तन

X.46 रिज़र्व बैंक द्वारा 2012 में आरंभ आरबीआई क्विज़ का आयोजन 2015 के दौरान 62 स्थानों पर किया गया। इसे स्कूली छात्र-छात्राओं से काफी उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला। आंचलिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर फाइनल का अयोजन मुंबई में हुआ और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इनका प्रसारण किया गया।

X.47 विद्यार्थियों में वित्तीय, मौद्रिक और आर्थिक विषयों के बारे में ज्ञान के प्रसार के लिए बैंक ने जनवरी 2016 में 'रिज़र्व बैंक नीतिगत परिवर्तन' के नाम से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता प्रारंभ की (बॉक्स X.1)।

बॉक्स X.1

रिज़र्व बैंक नीतिगत परिवर्तन: विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता

आरबीआई क्यू में स्कूली छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया था और इसकी सफलता से प्रेरित होकर विद्यार्थी समुदाय में वित्तीय, मौद्रिक और आर्थिक मामलों पर ज्ञान का प्रसार करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का जनवरी 2016 में आयोजन किया, जिसका शीर्षक था - "रिज़र्व बैंक नीतिगत चुनौतियाँ"। स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रखी गई इन प्रतियोगिताओं में निबंध-लेखन, समस्यापूर्ति और प्रस्तुति कौशल का परीक्षण किया गया।

इस प्रतियोगिता में तीन चक्र थे - क्षेत्रीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय। समूचे देश के 260 से भी अधिक विख्यात संस्थाओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और चार टीमें फाइनल में पहुँची। फाइनल मुंबई स्थित रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में 5 अप्रैल 2016 को आयोजित किया गया। इन टीमों को दोपहर से पहले मौद्रिक नीति संबंधित विषय दिया गया और दोपहर बाद प्रत्येक टीम ने गवर्नर की अध्यक्षता वाले चयनकर्ता पैनल के समक्ष 15 मिनट प्रस्तुति दी। इसके बाद 'प्रश्न-उत्तर' का सत्र हुआ जिसमें सहभागियों ने पैनलिस्ट, प्रेस के सदस्यों और दर्शकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया।

इस वार्षिक समारोह के आरंभिक संस्करण में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आईआईएफटी), दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), रायपुर को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। प्रत्येक टीम को ट्रॉफी और एक लाख रूपए का नकद पुरस्कार दिया गया, दोनों टीमों के सदस्यों को उनकी अपनी पसंद के विभाग में रिज़र्व बैंक ने तीन माह के इनटर्न का प्रस्ताव दिया।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

रिज़र्व बैंक अकादमी

X.48 आरबीआई अकादमी की संकल्पना दक्षिणीपूर्वी एशियाई प्रांत में केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए शीर्षस्थ संस्था के रूप में की गई है। यह अकादमी मुंबई में है और यह पूर्णतः रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है। यह संस्था रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के ज्ञान में अंतराल और प्रशिक्षण-संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगी। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों खासकर एमबीए इन सेन्ट्रल बैंकिंग जैसे कार्यक्रमों में अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को भी अवसर दिया जाएगा। आरंभ में अकादमी में जोखिम प्रबंधन, समष्टि अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र और कार्यनीति तथा मानव संसाधन प्रबंधन को कोर्स में कवर किया जाएगा। यह अपेक्षा की गई है कि इन पाठ्यक्रमों में विख्यात अकादमिक संस्थानों को संकाय प्रबंधन में रखा जाएगा। यह भी परिकल्पना की गई है कि कुछ समय में ही यह अकादमी बैंकरों और सरकारी पदाधिकारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने लगेगी।

सक्षमता आधारित मानव संसाधन रूपरेखा

X.49 रिज़र्व बैंक में विभिन्न भूमिकाओं के लिए अपेक्षित प्रमुख व्यवहारपरक, संचालनात्मक और नेतृत्व क्षमताओं से युक्त स्पर्धा संरचना की परिकल्पना की गई ताकि नियोजन, कार्यनिष्पादन प्रबंधन/विकास, कौशल-अंतराल विश्लेषण और प्रशिक्षण सहित सभी प्रमुख मानव संसाधन नीतियों का सम्यक समाधान किया जा सके। प्रायोगिक आधार पर दो विभागों (बाह्य निवेश और परिचालन विभाग तथा बैंकिंग विनियमन विभाग) में पैनल में शामिल परामर्शदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्धारण प्रक्रिया चलाई जा रही है। प्राप्त अनुभव के आधार पर यथासमय समूचे रिज़र्व बैंक में यह प्रक्रिया चलाई जाएगी। प्रायोगिक परियोजना की निगरानी हेतु एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

मानव संसाधन यूनिट

X.50 रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में एचआर यूनिटों की स्थापना की गई है ताकि रिज़र्व बैंक के एचआर विकासात्मक कार्यों को मजबूत बनाया जा सके।

संरचनाबद्ध ई-अध्ययन

X.51 रिज़र्व बैंक अपने स्टाफ-सदस्यों के बड़े समूहों को लक्षित करते हुए निर्धारित पाठ्यक्रमों वाली संरचनाबद्ध ई-अध्ययन व्यवस्था आरंभ की है। प्रथम कुछ माड्यूल का विकास कार्य शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। यह एक सतत प्रक्रिया रहेगी और तैयार किए गए नए माड्यूल को समाधान में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम माड्यूल पर रखा जाएगा।

सामान्य संवर्ग में भर्ती

X.52 रिज़र्व बैंक ने सामान्य संवर्ग में भर्तियों की अवधारणा की शुरुआत की है। संशोधित भर्ती प्रक्रिया के तहत भर्ती किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता अर्थशास्त्री, सांख्यिकी विद् और सामान्य संवर्ग के अलग-अलग संवर्गों के स्थान पर सामान्य वरिष्ठता हुआ करेगी।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.53 आगामी पाँच वर्ष में रिज़र्व बैंक में जन-शक्ति अपेक्षाओं के मूल्यांकन और इसकी सुदृढ़ता हेतु जनशक्ति आयोजना की कार्रवाई आरंभ की है। इन वर्षों में इससे रिज़र्व बैंक की एचआर नीति के लिए आधारशिला तैयार होगी।

रिज़र्व बैंक में संपूर्ण संस्था हेतु जोखिम प्रबंधन

X.54 रिज़र्व बैंक के सामने आने वाले जोखिमों के सम्यक आकलन और प्रबंधन करने की दृष्टि से फरवरी 2012 में जोखिम नीतियों को समाहित करते हुए सम्पूर्ण संस्थान हेतु जोखिम प्रबंधन संरचना (ईआरएम) को अंगीकार किया गया, जो कि रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए 'कौशल-आधारित' दृष्टिकोण की तरफ से 'समग्र-कारोबार आधारित' की तरफ बढ़ना होगा। वर्ष 2015-16 के दौरान जोखिम प्रबंधन विभाग ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

तीन चरणों में संचालन प्रक्रिया

X.55 जोखिम अभिशासन संरचना[1] (आरजीएस) के सृजन के साथ ही तीन चरणों वाली ईआरएम संचालन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूरा हो गया और त्रिस्तरीय जोखिम प्रबंधन संरचना[2], ईआरएम नीतियों का निर्धारण, जोखिम रेटिंग की क्रिया-पद्धति, कारोबारी इलाकों (बीए) से जोखिम रिपोर्टिंग व्यवस्था और प्रत्येक बीए की जोखिम प्रोफाइल तैयार करने के लिए जोखिम रजिस्टर (आरआर) तैयार करना। द्वितीय चरण में रिज़र्व बैंक की जोखिम सहनीयता और आरजीएस द्वारा सहन-सीमाओं का संधियन की कल्पना की गई है। ईआरएम कार्यान्वयन के अंतिम चरण में रिज़र्व बैंक में मिडिल ऑफिस कार्यों को जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) को शिफ्ट करने की जरूरत और दायरे और नीतिगत जोखिमों के मूल्यांकन में विभाग की अधिकाधिक संलग्नता पर विचार किया जाएगा।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.56 वर्ष 2015-16 के दौरान 13 कारोबारी क्षेत्रों के आरआर पूरे करके आरजीएस द्वारा अनुमोदित किए गए। जबकि शेष 19 विभागों के आरआर पूर्णता की अग्रिम स्थितियों में हैं। इसके अलावा जोखिम घटनाओं (बीए द्वारा प्रस्तुत घटना-रिपोर्टों पर आधारित) की आवधिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है और जोखिम की दृष्टि से प्रासंगिक समापन तक उच्च जोखिम घटनाओं की निगरानी आरंभ कर दी गई है।

X.57 रिजर्व बैंक में जोखिम संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए जोखिम जागरूकता अभियान 2014-15 में शुरू किया गया। 2015-16 के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जोखिम सेमिनार, रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में क्लास रूम चर्चाओं और वास्तविक/अद्वितीय घटनाओं के आधार पर प्रकरण अध्ययनों को तैयार किया गया, जिससे सीखने का दायरा मिला और जोखिम-जागरूकता के प्रति जागरूकता बढ़ी। इसके आलावा जोखिम संस्कृति को शीर्ष से निचले स्तर तक मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/प्रभारी अधिकारियों के लिए जोखिम जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जोखिम सर्वेक्षण का आयोजन किया गया ताकि रिज़र्व बैंक के सामने आने वाले जोखिमों की शिनाख़्त की जा सके। आरजीएस ने सर्वेक्षण के लिए प्राप्त जवाबों की समीक्षा करते हुए समुचित जोखिम निवारण उपायों को आरंभ करने के लिए निर्देश दिए। वर्ष 2015-16 में वरिष्ठ जोखिम अधिकारियों तथा प्रत्येक कारोबार के क्षेत्र में निर्दिष्ट जोखिम-अधिकारियों के लिए जोखिम सम्मेलन का आयोजन किया गया।

X.58 समस्त विश्व के केंद्रीय बैंकों के लिए अपेक्षाकृत नया कार्य होने से ईआरएम में पर्याप्त गुंजाइश है कि ईआरएम के उदीयमान अभ्यास और प्रक्रियाओं के बारे में पीयर-टू-पीयर अध्ययन किया जाए। इस दिशा में सन 2014 में इंटरनेशनल ऑपरेशनल रिस्क वर्किंग ग्रुप[3] (आईओआरडब्ल्यूजी) में शामिल होने के बाद से रिज़र्व बैंक इस समूह के प्रयासों में नियमित रूप से हिस्सा लेता रहा है। घटना रिपोर्टिंग प्रणाली के आकलन और सुधार के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने अन्य सदस्य केंद्रीय बैंकों में परिपाटियों का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से रिज़र्व बैंक को घटना रिपोर्टिंग

[1] रिज़र्व बैंक का आरजीएस त्रिस्तरीय संगचना है, जिसमें जोखिम निगरानी समिति, लेखा-परीक्षा और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन उप-समिति और केंद्रीय बोर्ड आरएमसी शीर्ष स्तीय समिति है, जो केंद्रीय बोर्ड के पूर्ण मार्गदर्शन में रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन निगरानी में एआरएमएस को सहायता प्रदान करती है।

[2] जोखिम प्रबंधन संरचना एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिस ने कारोबारी क्षेत्र(बीए), जोखिम निगरानी कार्य और रिज़र्व बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मिलकर जोखिम के प्रति रक्षा की तीन पंक्तियां तैयार करती है। रक्षा की प्रथम पंक्ति-बीए-अपने ही जोखिमों का निर्धारण और प्रबंधन करती है, जोखिम निगरानी कार्य में जोखिमों के निर्धारण और रेटिंग हेतु नीतियां और क्रिया पद्धतियाँ प्रदान की जाती हैं। यह जोखिमों का संकलन और उसकी रिपोर्ट आरजीएस को करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा इसकी अंतिम रक्षापंक्ति है जो स्थल पर ही लेखापरीक्षा के माध्यम से आरजीएस को रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन और स्थिति के बारे में भरोसा देती है।

[3] आईओआरडब्ल्यूजी 69 से भी अधिक केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक का एक समूह है; जो परिचालनगत जोखिम प्रबंधन में योग्यता संबंधी केंद्र के रूप में कार्य करता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ स्पेन तथा फेडरेल रिज़र्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया इसके सह-अध्यक्ष है।

बॉक्स X.2
आईओआरडब्ल्यूजी सर्वेक्षण: रिज़र्व बैंक की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा का दर्जा

इन्टरनेशनल ऑपरेशनल रिस्क वर्किंग ग्रुप (आईओआरडब्ल्यूजी) केंद्रीय बैंकों (सीबी) के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) के क्षेत्र में क्षमता-केंद्र के तौर पर कार्य करता है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ कि उनके वर्तमान जोखिम प्रबंधन के तौर-तरीके उनके परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर के स्तर और प्रकृति के समानुरूप हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह समूह वर्तमान जोखिम प्रबंधन रूपरेखा, के विभिन्न पहलुओं को ठीक-ठाक रखने प्रयुक्त विधियों, कार्यान्वयन चुनौतियों और विगत परिचालनगत विफलताओं से हासिल सीख को अपने सदस्यों के साथ शेयर करता है। आईओआरडब्ल्यूजी और इसके सदस्य अपने सदस्य केंद्रीय बैंकों का सर्वेक्षण के अंतिम निष्कर्षों को शेयर करते हैं, जो कि परिचालनगत जोखिम निगरानी में केंद्रीय बैंकों को अपनी स्थिति का स्वयं-आकलन करने में उपयोगी होते हैं।

सन 2016 में आईओआरडब्ल्यूजी ने अन्य बातों के साथ-साथ एक सर्वेक्षण किया ताकि ओआरएम में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथा की पहचान की जा सके। इसी सर्वेक्षण के एक हिस्से के तौर पर आईओआरडब्ल्यूजी ने रिज़र्व बैंक द्वारा अपना आरआर तैयार करने के लिए प्रयुक्त पद्धति का अध्ययन किया। इस प्रक्रिया में डोमेन विशेषज्ञों के प्रयोग को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा का दर्जा दिया गया, जो कि अन्य सदस्य केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई जाने योग्य है। सर्वोत्तम प्रथाओं के संकलन में आईओआरडब्ल्यूजी ने नोट किया कि : 'अपने आरआर की पुनरीक्षा के लिए डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करके भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक नूतन अवधारणा को अपनाया है। डोमेन विशेषज्ञ केंद्रीय बैंक के वे अधिकारी हैं जिन्होंने कुछ ही पहले बीए में संसाधन व्यक्ति के तौर पर कार्य कर चुके हैं लेकिन वर्तमान में वे संबंधित बीए में कार्यरत नहीं हैं। इस तरीके ने आरआर को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया को उद्देश्यपरक तथा छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देने में मदद की है और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया है। अभिनिर्धारित डोमेन विशेषज्ञों को जोखिम यूनिट द्वारा (कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम/आपसी बातचीत के माध्यम से) जोखिम प्रबंधन अवधारणा और आरआर की पुनरीक्षा-विधि का परिचय दिया गया। इस प्रकार से डोमेन विशेषज्ञों ने केंद्रीय जोखिम यूनिट के विस्तार के रूप में कार्य किया और यह सुनिश्चित करने में मदद की कि आरआर का दायरा व्यापक था और जोखिम आकलन विधि के अनुरूप रही।'

संरचना को मजबूत बनाने के लिए मूल्यवान इनपुट प्राप्त हुए। इसके अलावा, अन्य केंद्रीय बैंकों और आईओआरडब्ल्यूजी द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए रिज़र्व बैंक भी हिस्सा लेता रहा है। ऐसे सर्वेक्षणों के लिए दिए जाने वाले जवाबों के आधार पर यह पाया गया कि रिज़र्व बैंक द्वारा आरआर की तैयारी करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के तत्वों में से एक को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम परिपाटी माना गया और इसे अन्य केंद्रीय बैंकों ने भी अपनाया। आईओआरडब्ल्यूजी द्वारा सर्वोत्तम परिपाटियों का समेकन करने की प्रक्रिया बॉक्स X.2 में दिया गया है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

X.59 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ही रिज़र्व बैंक ने संरचनाबद्ध और प्रणालीबद्ध तरीके से अपने जोखिम-बफर का आकलन करने के लिए आर्थिक पूँजी/प्रावधान करने की संरचना का प्रारूप तैयार किया। यह परिकल्पना है कि इस संरचना का प्रयोग रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष का निर्धारण करने में भी किया जाएगा। इसी संरचना के आधार पर जोखिम रिपोर्टिंग व्यवस्था का कार्यान्वयन रिज़र्व बैंक के लिए किया गया है कि तुलन-पत्र और सामने आने वाले जोखिमों की रिपोर्ट आवधिक रूप से आरजीएस को दी जाए।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.60 शेष 19 आरआर को भी 2016-17 में अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा। प्रत्येक बीए और समग्र रिज़र्व बैंक के लिए हीट-मैप तैयार किया जाएगा ताकि आरजीएस द्वारा समस्त संस्था के लिए जोखिम की समीक्षा की जा सके। घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ाने के उपाय तथा घटनाओं की रिपोर्टिंग करने वालों की तादाद में बढ़ोतरी और रिज़र्व बैंक में रिस्क-कल्चर को मजबूत बनाने के प्रयास भी किए जाएंगे। घटनाओं की रिपोर्ट से यथा प्रकट होनेवाली जोखिम घटनाओं के प्रतिरूपों और कारणों का निरंतर विश्लेषण किया जाता रहेगा ताकि इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। उदीयमान जोखिमों की निगरानी के लिए जोखिम सर्वेक्षण किए जाएंगे और रिज़र्व बैंक में सभी स्तरों और इसके सभी लोकेशनों पर जोखिम जागरूकता को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए जाएंगे ताकि इसके रिस्क कल्चर की गहनता को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2014-15 में बैंक में ही जोखिम रिपोर्टिंग साफ्टवेयर तैयार किया गया था, इसमें और निखार करते

हुए इसे वेब पर चलाने योग्य बनाया जाएगा ताकि रिज़र्व बैंक में जोखिम की नज़दीकी से निगरानी और प्रबंधन किया जा सके।

X.61 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में जोखिम ग्रहणशीलता रूपरेखा (आरएएफ) को रोल आउट करने पर फोकस रहेगा। जोखिम सहनीयता विवरण (आरटीएस) को अंतिम रूप देने के बाद अगला कदम होगा विभिन्न बीए में विद्यमान जोखिम सहनीयता सीमाओं की समीक्षा करना।

X.62 रिज़र्व बैंक को नवंबर 2016 में होने वाले केंद्रीय बैंकों के जोखिम प्रबंधकों के सम्मेलन (सीबीआरएमसी)[4] के 12वें संस्करण की मेजबानी सौंपी गई है, इस सम्मेलन का मूल विषय है-'केन्द्रीय बैंकों की आर्थिक पूंजी संरचना।'

रिज़र्व बैंक में आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण

X.63 निरीक्षण विभाग द्वारा की जाने वाली आंतरिक लेखापरीक्षा कार्रवाई से शीर्षस्थ प्रबंधनतंत्र को जोखिम की जानकारी मिलती है। ये निरीक्षण जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा संरचना के तहत किए जाते हैं और इसमें सूचना प्रणाली का ऑडिट भी शामिल है जो पैनल में शामिल विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.64 निरीक्षण का फोकस अब लेनदेन-आधारित दृष्टिकोण से जोखिम-आधारित पद्धति की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय कार्यालय के विभागों ने आरएमडी के परामर्श से जोखिम रजिस्टर तैयार करने और इसे जोखिम निगरानी समिति से अनुमोदित कराने की प्रक्रिया जारी है। लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसमें जोखिम निगरानी कार्यों को भी समाहित किया जा सके; साथ ही इसका नाम बदलकर लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) कर दिया गया है। सिस्टम संबंधी ज़रूरतों को निर्धारित करने का कार्य चल रहा है। सुभेद्यता आकलन और व्यापन परीक्षण (वीए-पीटी) के बारे में तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) की सिफारिशों के अनुसार बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों को पैनल में शामिल करने का कार्य पूरा हो चुका है और कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का वीए-पीटी कार्य आरंभ हो चुका है। दिसम्बर 2015 में विभाग ने समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए संशोधित पद्धति के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए; जिनमें तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को मंगाने की द्विस्तरीय प्रक्रिया को आलेखित किया गया है। प्रोजेक्ट ऑडिट के दिशानिर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.65 रिज़र्व बैंक की सूचना-सुरक्षा के संदर्भ में जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट (आरबीआईए) के एक भाग के तौर पर सूचना सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। इस संदर्भ में निरीक्षण विभाग द्वारा आइएस ऑडिटरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया या जाँचसूची तैयार की जाएगी। वर्ष के दौरान फोकस इस तथ्य पर रहेगा कि निरीक्षण आयोजना की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए आद्योपांत समाधान प्रदान करते हुए एएमआरएमएस का कार्यान्वयन करके अंततः निरीक्षण रिपोर्टों को बंद किया जाए। चुनिंदा महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के लिए आरएफपी/वीए-पीटी दायरे को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। चुनिंदा महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों का तकनीकी ऑडिट/वीए-पीटी करने के तरीकों को भी निर्धारित किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.66 राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने हेतु अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति के लिए नोडल यूनिट के तौर पर कार्य करने के दायित्व को देखते हुए अन्तरराष्ट्रीय विभाग ने अन्तरराष्ट्रीय समष्टि आर्थिक नीतिगत समन्वयन, विश्वव्यापी नीति कार्यसूची के संचालन और

[4] सीबीआरएमसी एक मंच है जिसकी शुरुआत 2004 में बीआईएस ने की और विश्व के विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इस मंच पर प्रमुख केंद्रीय बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारी आते हैं, जिनपर विदेशी मुद्रा भंडार और तुलनपत्र संबंधी जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन नीतियों या प्रक्रियाओं के विकास और कार्यान्वयन का दायित्व है।

विश्वव्यापी मानक-विनियामक सेटिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों को निरंतर बनाए रखा।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.67 विश्वव्यापी स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए समग्र हानि अवशोषण क्षमता (टीएलएसी) पर साझा अंतरराष्ट्रीय मानकों को अंतिम रूप देने के लिए ईएमई से भारत की आवाज काफी मुखर रही। अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय विभाग ने विस्तृत प्रस्तुतियां की ताकि टीएलएसी, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), राजकीय आस्तियों के लिए पूँजी की अपेक्षाएं, जी-20 वचनबद्धता के अनुसार ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट में लीवरेज अनुपात और सुधार। केंद्रीय प्रतिपक्षों को केंद्रीय बैंक चलनिधि और वसूली तथा समाधान पद्धति अन्य पहलू थे जिन्हें इस विभाग ने अपने कार्यों में शामिल किया।

X.68 ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (सीआरए) से संबंधित कार्यपूरा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने अपनी-अपनी बहियों में एक-दूसरे के पक्ष में स्थानीय मुद्रा मूल्यवर्गों में स्वैप खाते खोले और सीआरए को क्रियाशील बनाया गया।

X.69 अन्तरराष्ट्रीय विभाग ने मुंबई में 26-27 मई 2016 के दौरान ''इंपैक्ट ऑफ चायनीज़ स्लोडाउन ऑन सार्क रीजन एन्ड पॉलिसी आप्शंस'' पर दो-दिवसीय सार्कफाइनांस गवर्नर्स सिम्पोजियम का आयोजन किया। इस सिम्पोजियम में सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर/उप गवर्नर, उनके वित्त मंत्रालयों के वरिष्ठ पदाधिकारी, आईएमएफ और बीआईएस के विशेषज्ञ और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। सार्कफाइनांस समूह के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक- सार्क फिनान्स डाटाबेस का विकास अन्य सार्क केंद्रीय बैंकों के सहयोग से रिज़र्व बैंक ने तैयार किया है। सार्क प्रांत में अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए इसे सामान्य जनता के लिए लॉन्च किया गया।

X.70 जी-20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) में भारत सह-अध्यक्ष है, इसलिए अन्तरराष्ट्रीय विभाग ने 2015 में जी-20 एंटालिया एक्शन प्लान के लिए भारत की संवृद्धि रणनीति को आकार देने के लिए भारत सरकार से घनिष्ठ समन्वय रखते हुए कार्य किया। वर्ष 2016 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय विभाग ने संरचनागत सुधारों के नौ प्राथमिकता क्षेत्रों का निर्णय करने में, उनके मार्दर्शन हेतु सिद्धान्तों का सेट और जी-20 अधिकारक्षेत्र में संरचनागत सुधारों की प्रगति की निगरानी और आकलन में मदद के लिए संकेतकों का सेट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई।

X.71 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा की गई समीक्षा में भी भारत दो क्षेत्रों में दूसरों के समकक्ष रहा - समष्टि विवेकपूर्ण नीति-संरचना और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षण। वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा विषयबद्ध विभिन्न समीक्षाओं यथा- शैडो बैंकिंग, ओटीसी मार्केट सुधार और संकल्प व्यवस्था के आयोजन में भी यह विभाग योगदान और समन्वयन करता रहा है। विभाग ने जी-20 कार्यदल में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना स्तर के अनेक मुद्दों में देश की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में प्रभावी भूमिका अदा की है। वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण विनियामक विषय, जिन पर चर्चा चल रही है, अन्य के साथ-साथ इस प्रकार हैं-फिनटेक और क्रेडिट मध्यस्थता, सीसीपी कार्ययोजना और पीएफएमआई कार्यान्वयन तथा संकल्प संरचना। विभाग ने भारत सरकार के साथ परामर्श करते हुए आईएमएफ के आर्टिकल-IV आकलन में भी समन्वयन किया।

X.72 इस विभाग ने फरवरी 2016 में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 'पूर्व चेतावनी अभ्यास' पर एक सप्ताह का गहन पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्षमता विकास संस्थान और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के साथ मिलकर काम किया। सार्क सदस्य देशों के समेकित और तुलनीय डाटाबेस के महत्व को देखते हुए सार्क सदस्य देशों के पदाधिकारियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 8-9 दिसम्बर 2015 को सार्कफाइनांस डाटाबेस पर एक सेमिनार आयोजित किया गया ताकि चुनिंदा समष्टि आर्थिक संकेतकों के बारे में टाइम सीरीज का डाटा उपलब्ध कराया जा सके। वर्ष 2015-16 दौरान विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों, केंद्रीय बैंकों और अन्तरराष्ट्रीय मानक

निर्धारक निकायों के पदाधिकारियों के लिए 40 परिचयात्मक दौरों का आयोजन भी किया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.73 अंतरराष्ट्रीय विभाग द्वारा जी 20, बीआईएस, एफएसबी और आईएमएफ के स्तर पर भारतीय दृष्टिकोण से वैश्विक कार्यसूची का संचालन जारी रहेगा। विभाग द्वारा सरकार के साथ हांगझाऊ एक्शन प्लान के लिए राष्ट्रीय संवृद्धि रणनीति को आकार दिया जाना और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वर्तमान में विचाराधीन चल रहे विषयों पर विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करना जारी रहेगा। विभाग द्वारा हरित वित्त (बाक्स X.3) पर विचार विमर्श में सक्रिय भूमिका भी निभाई जाएगी। विभाग नवीन कोटा फार्मूला सहित 15वें आईएमएफ जनरल रिव्यू ऑफ कोटा के लिए भारत सरकार के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करेगा। इसके अलावा, विभाग अनेकानेक वैश्विक वित्तीय/रेगुलेटरी मुद्दों पर कार्य करना जारी रखेगा।

X.74 वर्ष 2016 के दौरान भारत ने ब्रिक्स में अध्यक्षता हासिल की। विभाग द्वारा भारत सरकार से मिलकर अध्यक्ष की क्षमता में ब्रिक्स की कार्यसूची के संचालन में भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करता रहेगा।

X.75 यह विभाग नेपाल के साथ डाटाबेस प्रयास, क्षमता निर्माण और संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति सहित सार्कफाइनांस रोड मैप की अगुआई करने में अहम भूमिका निभाता रहेगा। वर्ष 2017 के

बॉक्स X.3
हरित वित्त : एक विश्लेषण

हरित निवेश के लिए, सीधे ही या वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से, अधिकाधिक निजी पूंजी जुटाने हेतु तौर-तरीकों को तलाशने और इनके बारे में ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से हरित वित्त अध्ययन समूह (जीएफएसजी) का गठन दिसंबर 2015 में चीन के सान्या में जी20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप-गवर्नरों की बैठक के बाद किया गया था। जीएफ़एसजी ने जुलाई 2016 में अपनी रिपोर्ट, 'जी20 हरित वित्त संश्लेषण रिपोर्ट' प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट हरित निवेश हेतु निजी पूंजी जुटाने के लिए वित्तीय प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक विकल्प की रूपरेखा बनाती है। विशेष रूप से, रिपोर्ट स्थानीय हरित बांड बाजार के विकास का समर्थन, हरित बांड में सीमा-पार निवेश को सुविधाजनक बनाने, पर्यावरण जोखिमों पर ज्ञान साझा करने को सुविधाजनक बनाने, और हरित वित्त गतिविधियों के आकलन में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। प्रभावी रूप से पर्यावरण जोखिम प्रबंधन करके, बैंक प्रदूषक क्षेत्रों को ऋण देना कम कर सकते हैं और हरित ऋण देने के लिए अपनी वरीयता बढ़ा सकते हैं और वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता में सुधार कर सकते हैं। हरित वित्त में बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद, कई बैंकों को अभी पर्यावरण और सामाजिक कारकों को अपने कारोबार मॉडल, अभिशासन फ्रेमवर्क और संस्कृतियों में पूरी तरह से शामिल करना बाकी है।

बीएसआर विवरणी पर आधारित डाटा से ज्ञात होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैंक ऋण देना असमान रहा है। यह 2009 से 2014 के दौरान समग्र ऋण संवृद्धि से उच्च दर पर बढ़ी है जिससे समग्र ऋण में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है (चार्ट 1)। हालांकि यह हिस्सा कम है, और इसमें ज्यादातर योगदान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया गया है (तालिका 1)। भारतीय संदर्भ में उपलब्ध अनुभवजन्य साहित्य (राजपूत 2013) के अनुसार, भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा ऋण और आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) के बीच संबंध निष्कर्ष रहित लगता है

चार्ट 1: ऋण वृद्धि

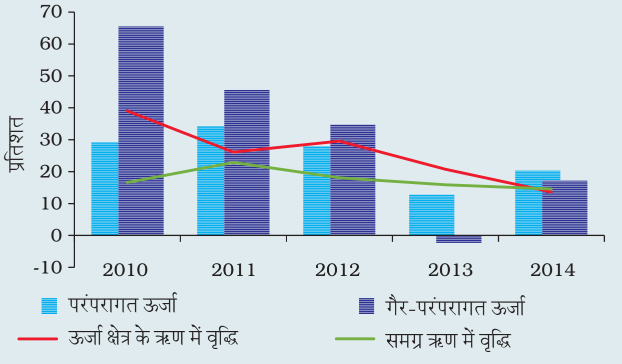

(चार्ट 2)। बैंकों द्वारा 2007-09 के दौरान हरित नीतियों को अपनाना और 2012 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने ने हरित बैंक ऋण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋण पर इस क्षेत्र के तहत

सारणी 1: नवीकरणीय ऊर्जा ऋण देने में बैंक समूहों की हिस्सेदारी (%)

	2009	2011	2013	2014
1	2	3	4	5
विदेशी बैंक	8.5	1.1	3.7	2.3
राष्ट्रीयकृत बैंक	54.1	72.7	62.7	70.4
निजी क्षेत्र बैंक	9.9	7.9	15.9	15.3
एसबीआई और इसके एसोशिएट बैंक	27.4	18.4	17.7	11.9

(जारी)

चार्ट 2: आस्ति पर प्रतिफल (आरओए) की तुलना में कुल ऋण सभी अनुसुचित वाणज्य बैंकों का नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी (प्रतिशत) में

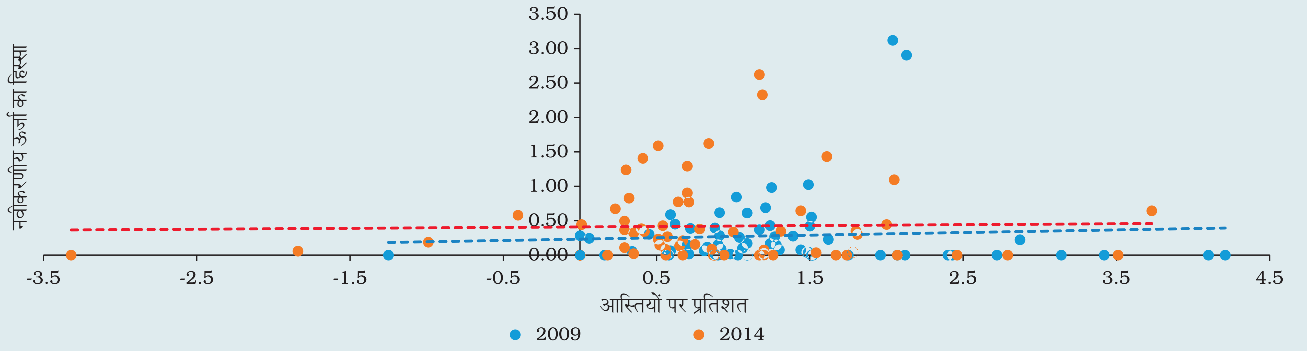

अलग शीर्ष के रूप में रिपोर्टिंग को सक्षम बनाने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र रिपोर्टिंग प्रणाली जून 2015 में संशोधित की गई। इससे ज्ञात होता है कि 2015-16 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैंक ऋण में लगभग 21.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है, हालांकि समग्र ऋण में इसका हिस्सा बहुत छोटा है।

सेबी ने 2015 में हरित बांड के निर्गम पर एक कान्सेप्ट पेपर निकाला था। उसपर प्राप्त फीडबैक पर विचार करने के बाद इस प्रकार के बांडों को जारी करने से संबंधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत ने यस बैंक, सीएलपी इंडिया, एक्जिम बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे कुछेक अग्रणी जारीकर्ताओं द्वारा जारी बांड के साथ हरित बांड बाजार में प्रवेश किया है। इन बांडों से संबंधित दिशानिर्देश निवेशकों को निर्णय लेने में मदद करेंगे जिन्हें हरित निवेश पर फोकस करने का अधिदेश दिया गया है और इससे प्रकटीकरण मानकों में समरूपता पैदा होगी।

भारतीय संदर्भ में, यद्यपि सरकार और विनियामक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में संवेदनशील रहे हैं, तथापि, कुछ व्यापक मुद्दे हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इनमें हरित गतिविधियों की परिभाषा, हरित वित्तपोषण के क्षेत्र, विकास में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के पहलू और विकसित देशों से हरित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण,और बैंकों द्वारा पर्यावरण जोखिम आकलन के लिए तौर-तरीके शामिल हैं।

संदर्भ

राजपूत एन, एस. अरोड़ा, ए. खन्ना (2013), ''एन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस ऑन फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस ऐंड मैनेजमेंट इन्वेंशन वॉल्यूम 2 इश्यू 9, सितंबर।

दौरान फंड-बैक द्वारा भारत को वित्तीय स्थिरता आकलन कार्यक्रम (एफएसएडी) दिया जाएगा जिसका समन्वय विभाग द्वारा किया जाएगा।

सरकारी और बैंक लेखा

X.76 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) आंतरिक लेखांकन नीतियों और एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन से संबंधित नीतियों बनाता है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंकों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में किए जा रहे कार्यों की देखरेख करता है। खातों और उनके प्रस्तुति के क्षेत्र में रिजर्व बैंक अपनी वित्तीय विवरणियों और खुलासों की बेहतर प्रस्तुति के माध्यम से लगातार अधिक से अधिक पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है। 'बैंकों का बैंकर' और 'सरकार का बैंकर' के क्षेत्र में, रिजर्व बैंक बेहतर और अधिक कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी समाधानों का लाभ उठाता रहा है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.77 रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र और लाभ व हानि खाते की प्रस्तुति के रूप की समीक्षा करने के लिए गठित तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, रुपया प्रतिभूतियां उचित मूल्य और अधिमूल्य व मूल्यह्रास में पुनर्मूल्यांकन पर जुलाई 2015 से 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूति' को हस्तांतरित की जा रही हैं। इसके अलावा, रुपया प्रतिभूतियां जुलाई 2015 से दैनिक आधार पर परिशोधित की जा रही हैं।

X.78 एजेंसी बैंकों में सरकारी कारोबार का निरीक्षण करने की प्रणाली की समीक्षा के लिए फरवरी 2015 में गठित कार्य समूह ने दिसंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एजेंसी बैंकों के ऑनसाइट निरीक्षण से संबंधित सिफारिशों को लागू किया गया है। रिज़र्व बैंक सरकारी कारोबार के ऑफसाइट निगरानी की प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में है। सरकारी कारोबार की कारोबार प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) पर मार्च 2015 में गठित कार्य समूह, जिसमें रिज़र्व बैंक, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और कुछ चुनिंदा एजेंसी बैंकों से सदस्य शामिल हैं, शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

वर्ष 2016-17 की कार्यसूची

X.79 जैसे ही यह कार्य समूह बीपीआर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, कार्यान्वयन के लिए इसकी जांच की जाएगी। बेहतर दक्षता और ग्राहक सेवा के लिए रिज़र्व बैंक के सीबीएस (ई-कुबेर) के साथ और अधिक राज्य और केंद्र सरकार की प्रणालियों की इलेक्ट्रॉनिक प्राप्तियों और भुगतान को अधिक एकीकृत करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कार्यान्वयन की कार्यसूची की अन्य मदों में एजेंसी बैंकों पर दंड लगाने की प्रक्रिया का मानकीकरण और एजेंसी कमीशन दरों को युक्तिसंगत बनाना शामिल हैं।

X.80 डीजीबीए जीएसटी को लागू करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था की जांच करने वाले तकनीकी समूह की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में शामिल था। रिज़र्व बैंक इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में एग्रीगेटर के रूप में सक्रियता से शामिल रहेगा क्योंकि लेन-देन रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकृत किये जा रहे हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन

X.81 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार (एफ़ईआर) का प्रबंधन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन विधियों, जोखिम प्रबंधन के तरीकों, लेखांकन ढांचे और आपदा प्रबंधन सहित आईटी अवसंरचना के मामले में मुद्रा भंडार प्रबंधन संरचना को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.82 नए बाज़ार और सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिफल के फ्रेमवर्क में आस्ति श्रेणियों में निवेश के माध्यम से भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) का विविधीकरण वर्ष 2015-16 के दौरान जारी रहा। आपदा जनित बाधाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था एक भिन्न स्थान पर परिचालित की गई। जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना का विस्तार सभी एफ़सीए और स्वर्ण के लिए किया गया। इस वर्ष के दौरान एफ़सीए की क्रेडिट स्ट्रेस टेस्टिंग भी प्रारम्भ की गई।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.83 एफ़सीए का अधिक विविधीकरण, स्वर्ण पोर्टफोलियो का सक्रिय प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधन और आईटी प्रणाली से संबंधित जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को मजबूत करना और स्टाफ दक्षता को और अधिक बढ़ाना वर्ष 2016-17 की कार्यसूची में हैं।

आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.84 केन्द्रीय बैंकों में नीति-निर्माण के लिए अनुसंधान गतिविधि का अत्यधिक महत्व है। रिज़र्व बैंक में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) को आर्थिक और नीति संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान इनपुट और एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) सेवा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। विभाग समष्टि-आर्थिक और मौद्रिक नीति संबंधी मुद्दों पर नीति-अभिमुख अनुसंधान के क्षेत्र में ज्ञान केंद्र के रूप में अपने आप को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीईपीआर रिपोर्टों के नियमित प्रकाशन, आंकड़ों के प्रसार और नीति-अभिमुख अनुसंधान सहित विभिन्न तरीकों से योगदान देता है।

वर्ष 2015-16 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

प्रकाशन

X.85 विगत की भांति, विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक के प्रमुख प्रकाशनों- वार्षिक रिपोर्ट, राज्य वित्त पर अध्ययन और भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन का प्रकाशन

किया है। विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं में रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के मुख्य संदेश का प्रसार करने के लिए संचार विभाग के समन्वय से वर्ष के दौरान तीन आउटरीच संगोष्ठियों का आयोजन विभिन्न केन्द्रों, मुख्यतः विश्वविद्यालयों में किया गया। इस कार्य की पहुँच बहुत अच्छी रही। विभाग ने वर्ष के दौरान मौद्रिक एग्रिगेट्स, भुगतान संतुलन, बाह्य ऋण, घरेलू वित्तीय बचत और निधि प्रवाह पर भी प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और प्रसार किया। विभाग ने भारतीय राज्यों पर आंकड़ों की पुस्तिका का अनावरण किया जो अपनी तरह की पहली पुस्तिका है, जिसमें सामाजिक और जनांकिकी संकेतकों, राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि, उद्योग, अवसंरचना, बैंकिंग और राजकोषीय संकेतकों सहित व्यापक क्षेत्र के चरों पर राज्य-वार सांख्यिकीय सारणियाँ दी गयी हैं।

अनुसंधान

X.86 वर्ष 2015-16 के दौरान 32 शोध-पत्र पूरे किये गये जिनमें से 10 घरेलू और विदेशी जर्नलों में प्रकाशित हुए। वर्ष के दौरान ग्यारह वर्किंग पेपर्स प्रकाशित किये गये। अनुसंधान पत्रों में अभिरुचि के अनेक क्षेत्रों: मौद्रिक नीति हस्तांतरण और चुनौतियाँ, फोरेक्स हस्तक्षेप की प्रभावशीलता, वैश्विक स्पिल-ओवर्स, एसएमई वित्त-पोषण, निजी प्लेसमेंट संबंधी मुद्दे और एनबीएफ़सी का वित्त-पोषण को शामिल किया गया। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए बाह्य विशेषज्ञों के सहयोग से विभिन्न पहल की गयीं। वर्ष 2015-16 के दौरान डीआरजी अध्ययन और एक डीआरजी परियोजना पूरी की गई।

अन्य गतिविधियां

X.87 वर्ष के दौरान विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें प्रोफेसर एम. बॉल द्वारा 'भारत में मुद्रस्फीति को समझना' *पर संगोष्ठी,* प्रोफेसर वी. वी. चारी द्वारा 'भारत में मौद्रिक नीति के लिए आर्थिक सिद्धान्त से सबक' *पर वार्ता और* श्री जोस विनाल्स, वित्तीय कॉउन्सलर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) द्वारा 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता - हम कहाँ हैं?' पर वार्ता शामिल है। उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (कैफरल) के सहयोग से डीईपीआर ने 'मुक्त उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति चुनौतियाँ'' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने भाग लिया। विभाग का वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन जून 2016 में गोवा में आयोजित किया गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और बाह्य विशेषज्ञों का एक विशेष सत्र इसमें शामिल था। डीईपीआर अध्ययन मंच, शोधकर्ताओं का विभागीय फोरम, ने आंतरिक शोधकर्ताओं द्वारा विविध विषयों पर 12 प्रस्तुतियां आयोजित कीं। बाह्य विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियों के साथ उसी बैनर तले छह संगोष्ठियाँ भी आयोजित की गयीं। विदेश से ख्याति प्राप्त एक प्रोफेसर ने दो सप्ताह के लिए विभाग का दौरा किया और डीईपीआर तथा मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और पूर्वानुमान अभ्यास का मार्गदर्शन किया।

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यसूची

X.88 आगे बढ़ते हुए वर्ष 2016-17 के दौरान जिन अनुसंधान क्षेत्रों को समाहित करने पर विचार किया गया उनमें संतुलन विनिमय दर, घरेलू मुद्रास्फीति से निकली विनिमय दर, कृषि में ऋण और उत्पादन संबंध, स्वच्छ नोटों की उपलब्धता,मनरेगा का प्रभाव तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में ऋण क्षमता शामिल हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान कई संगोष्ठियाँ/व्याख्यान और 'वित्तीय चक्र और संकट' विषय पर एक दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) कोर्स दिसंबर 2016 में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 1997 से 2008 तक की अवधि को समाहित करते हुए 'रिजर्व बैंक का इतिहास' के पंचम खंड का मसौदा विभाग के इतिहास कक्ष द्वारा तैयार किया जा रहा है। एमपीडी और सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) के समन्वय से विभाग ने खाद्य मुद्रास्फीति अनुसंधान और माप (एफ़आईआरएम) पर एक समूह गठन किया है जो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को डिकोड करते हुए व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगा।

सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.89 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) जनता को समष्टि वित्तीय सांख्यिकी प्रसारित करता है और रिज़र्व बैंक की नीतिगत तथा परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांख्यिकी सहयोग और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करता है। डीएसआईएम बैंकों, कॉर्पोरेट तथा बाह्य क्षेत्रों से संबंधित समेकित सांख्यिकी प्रणाली का रखरखाव करता है, संरचनाबद्ध सर्वेक्षण करता है, रिज़र्व बैंक का डाटा वेयरहाउस संभालता है और सांख्यिकी विश्लेषण तथा पूर्वानुमान प्रदान करता है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति :

डाटा का प्रबंधन, प्रसार तथा प्रकाशन

X.90 वर्ष 2015-16 के दौरान डीएसआईएम ने बैंकों तथा कॉर्पोरेट एवं बाहरी क्षेत्रों से संबंधित सांख्यिकी नियत समयानुसार और जहाँ भी संभव हुआ कम समयांतराल के साथ जारी की। बैंकों ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (सीजीएफएस) की सिफारिशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) की प्रस्तुति डाटा स्टेज 2 में हुए बदलावों के कार्यान्वयन हेतु संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली में करनी प्रारंभ कर दी है। इस विभाग ने बैंकिंग के लिए सेवा उत्पादन का सूचकांक (आईएसपीबी) का समेकन करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है जिसे सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। विभिन्न जनसंख्या समूहों में बैंक की शाखाओं के वर्गीकरण को 2011 की जनसंख्या गणना के आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। तिमाही आधार पर जमा के प्रकार तथा तिमाही/वर्ष के दौरान खुली शाखाओं की संख्या पर नई सांख्यिकी जारी करने से बैंकिंग डाटा के प्रसार का दायरा बढ़ा है। इसके अलावा, यह विभाग बैंकों के लिए रेटिंग मॉडल तैयार करने के साथ बाज़ार जोखिम मॉडलों को जाँचने में भी सक्रिय रूप से संलग्न है।

X.91 वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय(एमसीए) के अपेक्षाकृत बड़े डाटासेट का प्रयोग करते हुए कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, संशोधित राष्ट्रीय खाता आकड़ों के अनुसार निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के जोड़े गए सकल मूल्य को समेकित किया गया। एसडीडीएस के नियत समय-सीमा के अनुसार तिमाही अंतरराष्ट्रीय निवेश का प्रसार किया गया, साथ ही बाह्य क्षेत्र पर सभी सर्वेक्षणों के लिए अल्प समय लगा।

X.92 फ़ॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इलैक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम(एफईटीईआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग परिवेश के आधार पर एक सुरक्षित वेब पोर्टल कार्यान्वित किया गया जो भुगतान के बकाया (बीओपी) के समेकन का आधार बना। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) के परामर्श से केन्द्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण पोर्टल विकसित किया गया है जो खोज-सुविधा, उपयोगकर्ता प्रबंधन और आडिट ट्रायल सहित बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए 0.1 मिलियन ₹ और अधिक राशि वाली धोखाधड़ी पर सूचना प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस के रूप में है।

X.93 एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली का दूसरा चरण 2015-16 के दौरान पूरा किया गया और 97 विवरण एक्सबीआरएल के अंतर्गत लाए गए। एक्सबीआरएल परियोजना का तीसरा चरण विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 95 विवरणों के साथ प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष के दौरान एक्सबीआरएल मानकों के वैश्विक संरक्षण एक्सबीआरएल इंटरनेशनल ने 'विनियामक रिपोर्टिंग में सुधार के नवोन्मेष तथा निरंतर अनुगमन' में रिज़र्व बैंक प्रयासों को मान्यता देते हुए उसे 'एक्सबीआरएल अन्तरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार' प्रदान किया। रिज़र्व बैंक में नए विवरणों को प्रारंभ करने/वर्तमान विवरणों में संशोधन करने की प्रक्रिया की विविक्षा के लिए एक अंतर-विभागीय विवरण संचालन समूह (आरजीजी) का गठन किया गया है।

X.94 इस विभाग के सार्कफाइनांस डाटाबेस (एसएफडीबी) विकसित किया है। इस खास एसएफडीबी वेबसाइट का जनता के लिए मई 2016 में सार्कफाइनांस गवर्नरों के सिंपोजियम में विमोचन किया गया।

X.95 एकीकृत डाटाबेस तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय फैक्ट शीट के अंतर्गत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नियमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ऑटोमेटेड इंटरफेस प्रणाली तैयार की गई है।

सर्वेक्षण तथा अनुसंधान

X.96 वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति के लिए सांख्यिकी सर्वेक्षण से संबंधित मामले सर्वेक्षण पर तकनीकी सलाहकार समिति को प्रेषित किए गए, जो उप गवर्नर की अध्यक्षता में काम करती है और जिसके सदस्य इस क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों से लिए जाते हैं। किए जा रहे विभिन्न सर्वेक्षणों के तकनीकी पहलुओं को सुधारने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता से अनुसंधान सहयोग को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। रिज़र्व बैंक के वर्किंग पेपर सीरीज़/अन्य प्रकाशनों/अकादमी सम्मेलनों में कई अनुसंधान अध्ययनों का योगदान दिया गया।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.97 विभाग डाटा के समन्वय से संबंधित काम को इस उद्देश्य से जारी रखेगा कि सभी मुख्य मदों की परिभाषा प्रदान की जा सके जिसका बैंकों द्वारा डाटा रिपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा, विवरण प्रशासन समूह(आरजीजी) के तत्वावधान में बैंकों को उनके ऑटोमेटड डाटा फ्लो (एडीएफ) प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक्सबीआरएल के चरण-III के अंतर्गत इस प्रक्रिया में 95 विवरणों से संबंधित गतिविधियों को आगे ले जाया जाएगा। वर्ष के दौरान विभाग सार्कफाइनांस डाटाबेस कवरेज को सहभागी देशों के परामर्श से आगे बढ़ाएगा। बैंकिंग घटकों पर सूचना एकत्रित करके इकठ्ठा रखने की वर्तमान प्रणाली को अद्यतन किया जाएगा ताकि प्रणाली की गुंजाइश और क्षमता को बढ़ाया जा सके। विभाग कुछ बैंकिंग विवरणों की समीक्षा पर भी विचार करेगा ताकि बैंकों पर रिपोर्टिंग के बोझ को कम किया जा सके।

X.98 जोखिम तथा अतिसंवेदनशीलता, पूंजी संरचना तथा निवेश व्यवहार के क्षेत्र में कॉर्पोरेट वित्त अध्ययन भी 2016-17 के दौरान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट बिक्री तथा लाभप्रदता का नाउकॉस्टिंग तकनीक से लघु-अवधि पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जाएगा। विभाग वर्तमान सर्वेक्षकों की तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में समीक्षा करेगा।

कानूनी मुद्दे

X.99 विधि विभाग एक परामर्शी विभाग है जिसकी स्थापना कानूनी मामलों की जाँच तथा परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक के पक्ष में मुकदमों के प्रबंधन को सुविधा पहुंचाने के लिए किया गया है। यह विभाग इस दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के परिपत्रों, निर्देशों, विनियमों और करारों की विवीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिज़र्व बैंक के निर्णय क़ानूनी तौर पर सुदृढ़ हैं। विधि विभाग द्वारा डीआईसीजीसी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व की अन्य संस्थाओं को क़ानूनी मामलों, मुकदमा संबंधी मुद्दों तथा न्यायालय से संबंधित विषयों पर सहायता एवं सलाह प्रदान की जाती है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.100 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों को दिसंबर 2015 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार नकारे गए चेक के संबंध में शिकायत उस अदालत के समक्ष दर्ज की जा सकती है जिसका अधिकारक्षेत्र (i) उस स्थान पर होगा जहां अदाता ने अपने खाते से अर्थात् अदाता की बैंक शाखा से भुगतान के लिए चेक सुपुर्द किया है अथवा (ii) वह स्थान जहां उसने चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया है अर्थात् वह स्थान जहां अदाकर्ता बैंक की शाखा स्थित है।

X.101 उच्चतम न्यायलय ने डीआईसीजीसी बनाम रघुपति राघवन एवं अन्य के मामले में 01 जुलाई 2015 को जारी निर्णय में बीमाकृत बैंकों के परिसमापन के मामलों में डीआईसीजीसी की प्राथमिकता के दावों पर कानूनी प्रश्न का निपटान कर दिया।

X.102 रिज़र्व बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के कुछ आदेशों के विरुद्ध यह निर्देश देते हुए याचिका दायर की कि वे निरीक्षण रिपोर्ट तथा संबंधित सूचना

की प्रतियाँ प्रदान करें। उच्चतम न्यायालय ने आयोग द्वारा जारी आदेशों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.103 वर्ष 2016-17 में, यह विभाग विभिन्न विभागों को कानूनी मामलों में परामर्श देना जारी रखेगा और मांगे जाने पर विनिर्दिष्ट कानूनी सलाह प्रदान करेगा। यह रिज़र्व बैंक के पक्ष में मुकदमों के प्रबंधन का अपना प्रयास भी जारी रखेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय का कार्य करेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और मानकों को पूरा करने और संबंधित प्रावधानों के स्पष्टीकरण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों में संशोधन का कार्य वर्ष के दौरान किया जाएगा।

कार्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

X.104 कार्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन विभाग (सीएसबीडी) बैंक की कार्यनीति प्राथमिकताओं के प्रति किफायती रूप से संसाधनों का आबंटन करते हुए रिज़र्व बैंक के लिए बजट का निरूपण करता है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.105 इस विभाग ने वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के लिए मध्य-अवधि के लिए कार्यनीति तथा कार्रवाई योजना की संरचना तैयार की। केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों की अलग-अलग कार्य योजनाओं को जोड़ते हुए बृहद कार्यनीतियों का रूप दिया और रिज़र्व बैंक के मूल उद्देश्य, मूल्यों और विज़न वक्तव्य से सम्बद्ध किया। विभाग शीर्ष प्रबंधन तंत्र को रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा अपने लिए तय की गई कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति तिमाही आधार पर प्रदान करता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि आगामी तिमाहियों में उनकी कार्य-योजनाएं क्या थीं, उनके लक्ष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगनेवाली समय-सीमा, पड़ाव, अड़चने क्या थीं और उनके लिए सुधारात्मक उपाय किए गए।

X.106 विभाग ने कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम)नीति का मसौदा भी तैयार किया है। रिज़र्व बैंक में कारोबारी निरंतरता प्रबंधनकी स्थिति की समीक्षा करने तथा वर्तमान कमियों का पता लगाने के लिए एक कारोबारी निरंतरता प्रबंधन का विश्लेषण किया गया। इसके बाद पूरे रिज़र्व बैंक में एकीकृत सुदृढ़ कारोबारी निरंतरता प्रबंधन के कार्यान्वयन में मदद के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई। केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों और चयनित क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में कारोबारी प्रभाव विश्लेषण(बीआईए) किया गया ताकि समय के संबंध में गंभीर संवेदनशील कारोबारी प्रक्रिया की वैज्ञानिक रीति से पहचान हो सके

X.107 प्रत्येक इकाई (क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय के विभाग/प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) द्वारा निश्चित की गई कार्य योजना के आधार पर रिज़र्व बैंक का बजट निरूपण इस विभाग द्वारा किया गया और इसके उपयोग की तिमाही आधार पर निगरानी की गई।

X.108 विभिन्न अधिवर्षिता निधियों तथा प्रशिक्षण/अनुसंधान संस्थानों जैसे एनआईबीएम, आईजीआईडीआर, सीएएफ़आरएएलआर, आईआईबीएम के लिए बजटीय सहायता के प्रावधान की जिम्मेदारी भी विभाग की है।

X.109 इस विभाग की पहल पर आईज़ोल तथा इम्फ़ाल में क्रमशः 15 तथा 17 अक्तूबर 2015 को टीयर III कार्यालय खोले गए। इस संबंध में, इस विभाग ने एक सूची तैयार की है जिसमें नए खुले कार्यालयों के लिए ध्यान देने योग्य पहलुओं और मुद्दों, ऐसे कार्यालयों को चलाने के लिए सुविधाएं और वहाँ पोस्ट किए जाने वाले कार्मिक शामिल हैं।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.110 आगामी वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में सुदृढ़ कारोबारी निरंतरता प्रबंधन नीति का निरूपण, दिशानिर्देश जारी करके, कारोबारी प्रभाव विश्लेषण करके, संकट प्रबंधन संरचना स्थापित करके, सभी पण्यधारकों को जागरूक बनाने और प्रत्येक इकाई के कारोबारी निरंतरता योजना(बीसीपी) की समीक्षा करके संपूर्ण रिज़र्व बैंक में एकीकृत प्रकार से कारोबारी निरंतरता प्रबंधन का कार्यान्वयन करना सम्मिलित है। रिज़र्व बैंक की कार्यनीति योजना की निगरानी करना एक महत्वपूर्ण सतत कार्य-योजना है। बजट निरूपण के गठन तथा इसकी समीक्षा

को प्रक्रिया को भी विभाग और व्यवस्थित करेगा ताकि व्यय को तर्कसंगत किया जा सके। आगामी अपेक्षाओं के आधार बार चयनित टीयर-III कार्यालयों में राज्य सरकार (एसजी) कक्षों, डीएनबीएस/डीसीबीएस कक्षों तथा/अथवा अन्य विभागों की स्थापना की भी योजना इस विभाग ने तैयार की है।

कार्पोरेट सेवाएं

X.111 कार्पोरेट सेवाएं विभाग (डीसीएस) की स्थापना, नवंबर 2014 में किए गए संस्थागत पुनर्गठन के तहत, रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों की आंतरिक कार्पोरेट सेवाओं को प्रदान करने में समन्वय तथा सुविधा देने के उद्देश्य से की गई।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.112 विभाग का मुख्य फोकस प्रबंधन/कार्यक्रमों के आयोजन के लिए साहायक सेवाएं/बैठक/आतिथ्य/शिष्टाचार सेवाएं शीर्ष प्रबंधन तंत्र को उपलब्ध कराना तथा रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों की ई-मोड से बिक्री करके भुगतान प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता रहा है। विभाग ने दर संविदा एवं कार्यक्रम प्रबंधन का कार्य सौंपने का निर्णय लेने केलिए दिशानिर्देश निरूपित किए हैं। विभाग ने लेखन-सामग्री की केंद्रीकृत खरीद, रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों का प्रकाशन, प्रकाशकों को सूचीबद्ध करने और केंद्रीकृत कूरियर सेवाएं प्रदान करने के संबंध में व्यवस्थाएं की हैं।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.113 वर्ष 2016-17 के दौरान इस विभाग के अभिलेख प्रबंधन और कार्यप्रवाह पद्धतियों के लिए नीति के निरूपण पर कार्रवाई की पहल करने की योजना है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबन्धन प्रणाली (ईडीएमएस) पर अधिक बल देकर और व्यापकता (बॉक्स X.4) के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक्रय/दर

बॉक्स X.4
इलैक्ट्रानिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) - दर्पण

भारतीय रिजर्व बैंक ने इलैक्ट्रानिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) को कार्यान्वित करने की परियोजना प्रारंभ की है। कई प्रकार की तकनीकों के इस्तेमाल से यह प्रणाली रिजर्व बैंक में प्रयोगकर्ताओं को दस्तावेज के पूरे जीवन-चक्र में, उनके सृजन से संग्रहण तक, दस्तावेज़ों और रिकार्डों को बनाने और प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगी।

इस परियोजना का उद्देश्य कार्यप्रवाहों को प्रारंभ करने के लिए मंच का सृजन करना; रिजर्व बैंक की कारोबारी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाना, सहकार्य और संसूचना का माध्यम स्थापित करना; संस्था के लिए ईडीएमएस एप्लीकेशन के माध्यम से सृजित अभिलेखों के लिए एक केंद्रीकृत दस्तावेज़ संग्रह स्थान और दस्तावेजों को साझा-योग्य बनाकर रिजर्व बैंक को ज्ञानमयी संस्था बनने के उसके प्रयास में मदद करना है। ईडीएमएस का मुख्य लाभ है कि यह अधिकतर रिकार्डों के लिए सम्यक वस्तु संग्रह स्थान प्रदान करता है जिसमें उन्नत लायब्रेरी-सर्विस भी होंगी जो प्रयोगकर्ता को लाखों दस्तावेज़ों में से सही वस्तु सही समय पर ढूँढने में सक्षम करेंगी। एक ऐसी संस्था के लिए जो कई स्थानों में फैली हुई है, इस प्रणाली का कार्यप्रवाह प्रबंधन मोड्यूल उन दस्तावेज़ों तक तुरंत पहुँचने में मदद करेगी जिसे सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेल, फैक्स या डाक के माध्यम से पहुँचाने में समय लगता है। काग़ज आधारित प्रक्रियाओं के विपरीत एक इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रवाह में पूरी संस्था के दस्तावेजों पर नियंत्रण प्रदान करते हुए किसी दस्तावेज का आसानी से पता लगा कर निर्धारित किया जा सकता है। इससे कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और कारोबार प्रक्रिया सुधारने के अवसर मिलेंगे। एक पेपर फाइल को ढूँढने, उस पर कार्रवाई करने और उसे वापस व्यवस्थित करने में जो महत्वपूर्ण समय खर्च होता है और क़ाग़ज, स्याही, फाइल फोल्डरों, फाइलिंग केबिनट, फाइलिंग स्टाफ तथा अन्य आवश्यकताओं पर किए गए व्यय से बचा जा सकता है और इस प्रकार रिज़र्व बैंक का पर्याप्त समय और खर्च कम किया जा सकेगा। इसके अलावा, कुशल स्कैनिंग और इंडेक्सिंग दक्षता से ईडीएमएस यह लगभग सुनिश्चित कर देगा कि फाइल चालू रहे और अद्यतन रहे और दस्तावेजों तथा रिकार्डों के अंकों पर नियंत्रण प्रदान करेगा। ईडीएमएस में सुरक्षा, क़ाग़जी परिवेश की सुरक्षा की तुलना में लचीली होगी। यह समूहों और व्यक्तियों तक भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुँच नियंत्रण नीति के अनुसार पहुँचेगा और संपरीक्षा ट्रेल बनाए रखेगा जिससे दिखेगा कि किसने दस्तावेज़ प्रयोग किया और उन्हें अद्यतन किया। इलैक्ट्रानिक संग्रह स्थान की कई स्थानों पर प्रतिकृति बनाई जा सकेगी और उचित आपदा बहाली संरचना और प्रक्रियाओं के रहते हुए किसी बड़ी आपदा से जैसे आग से कुछ दिनों में ही पूरी बहाली की जा सकेगी। सिस्टम के रिकार्डों का लॉग बनाने को संपरीक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, सिस्टम को अनुरूप बनाया जा सकेगा और दस्तावेज़ों के संग्रहण, पहुँच और बनाए रखने से संबंधित विनियामक अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए कारोबारी पद्धतियों को व्यवस्थित किया जा सकेगा।

संविदा और शिष्टाचार तथा कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित कार्यों पर हैन्डबुक/मैन्युअल तैयार किए जाएंगे। विभिन्न लेखन-सामग्री मदों पर कॉमन/केंद्रीकृत दर संविदा के लाभ का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव विश्लेषण किया जाएगा।

राजभाषा

X.114 वर्ष 2015-16 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजभाषा अधिनियमों के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अपने प्रयास जारी रखे। यह उत्तरदायित्व रिज़र्व बैंक के राजभाषा विभाग को सौंपा गया है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.115 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2015-16 को राजभाषा स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया। क्षेत्रीय निदेशकों तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों के प्रधानों को राजभाषा नीति की अपेक्षाओं से जागरूक करने के लिए 10 जुलाई 2015 को लोनावला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके बाद राजभाषा के विभिन्न पहलुओं पर हैदराबाद, पटना, नागपुर तथा जम्मू में चार अंचल संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। रिज़र्व बैंक के कार्यालयों/विभागों में चार कार्यक्रमों यथा हिंदी दिवस, अनुवाद-दिवस, विश्व हिंदी दिवस तथा मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया; जिसके बाद फरवरी 2016 को लखनऊ में एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजभाषा स्वर्ण जयंती का समापन समारोह 24 मई 2016 को आयोजित किया गया, जिसमें एक स्मारिका के साथ आठ अन्य प्रकाशन जारी किए गए। इस वर्ष सांविधिक प्रकाशनों के अलावा अन्य प्रकाशन भी द्विभाषी रूप में निकाले गए

संसदीय समिति का दौरा

X.116 संसदीय राजभाषा समिति ने रिज़र्व बैंक के दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद कार्यालयों का दौरा किया तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। समिति की आलेख और साक्ष्य उप-समिति ने भुवनेश्वर,बेंगलुरू तथा कोलकाता कार्यालयों का दौरा किया। उप समिति ने रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपाय सुझाए।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.117 सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं और राजभाषा पर संसदीय समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा पर एक दिवसीय कार्यक्रम के अलावा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर संगोष्ठी वर्ष 2016-17 की कार्यसूची में है।

परिसर विभाग

X.118 परिसर विभाग के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की भौतिक संरचना के सृजन, अनुरक्षण और इसमें सुधार करने का कार्य निहित है। वर्ष 2015-16 में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। इम्फाल में कार्यालय भवन के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। इस वर्ष के दौरान आरबीएससी, चेन्नै और आईजीआईडीआर, मुंबई के लिए छात्रावास भवनों का निर्माण साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के फ्लैट सहित कार्यपालक दौरे पर अधिकारी के चार फ्लैटों (वीओएफ) और अमीरपेट, हैदराबाद में विश्राम ब्लॉक का निर्माण पूरा किया गया। अन्ना नगर, चेन्नै तथा मुंबई में दादर-परेल में अधिकारियों के फ्लैटों का निर्माण पूरा होने के निकट है। मुंबई में कैफरेल के लिए संरचनात्मक सुविधा के निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। गार्मेंट हाउस को खाली करने से मुंबई में कार्यालय स्थान को संघटित करने और उसके इष्टतम उपयोग के प्रयास किए गए जिससे लागत में कमी आयी और पर्याप्त वार्षिक बचत हुई।

X.119 सुरक्षा संरचना को उन्नत करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान 19 कार्यालयों में इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी (आईपीसीसीटीवी) सिस्टम क्रियाशील किया गया। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय भवन में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली का इंस्टालेशन

प्रारंभ किया गया ताकि बृहत्तर और एकीकृत सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

X.120 रिज़र्व बैंक ने विभिन्न परिसरों में 336 किलोवाट पीक(केडब्ल्यूपी) की सकल क्षमता वाले ग्रिड इंटरैक्टिव सौर्य इंस्टलेशन के माध्यम से सौर्य उर्जा के प्रयोग हेतु कदम उठाए हैं। उर्जा सक्षमता और पर्यावरण अनुकूल एसी प्लांटों का सभी कार्यालयों में इंस्टालेशन पूरा किया गया। आवासीय कॉलोनियों में आठ स्थानों पर जैविक कूड़ा कनवर्टर इंस्टाल किए गए। कई कार्यालयों और आवासीय परिसरों में वृष्टि-जल संचयन व्यवस्था स्थापित की गई।

वर्ष 2016-2017 के लिए कार्यसूची

X.121 वर्ष 2016-17 के दौरान रायपुर तथा देहरादून में नये कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। शिलांग, अगरतला और रांची में कार्यालय भवनों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए औपचारिकताएं की जा रही हैं। जम्मू तथा देहरादून में आवासीय कॉलोनियों के निर्माण की आयोजना अंतिम चरणों में है। दिल्ली (हौज खास), मुंबई (चेम्बूर, अंधेरी और मलाड), जयपुर (मालवीय नगर), चंडीगढ़ और अहमदाबाद (वासना) में भी आवासीय कॉलोनियों की योजना है। लोनावला में हॉलीडे होम बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

X.122 हरित पहल के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 800 केडब्ल्यूपी के ग्रिड इंटरैक्टिव सौर्य ऊर्जा का सकल लक्ष्य रखा गया है। रिज़र्व बैंक के सभी परिसरों में पानी तथा बिजली बचाव हेतु ठोस कदम उठाए जाने की भी योजना है।

X.123 अधिक्रय में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 1 मिलियन ₹ से अधिक के अधिक्रय और 0.5 मिलियन ₹ से अधिक के सामान/रद्दी के विक्रय के लिए ई-टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सभी कार्यालयों को सूचित किया गया है अपने परिसरों के रखरखाव और अनुरक्षण पर ध्यान दें।

अनुबंध

सारणी 1: 01 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 के दौरान केंद्रीय बोर्ड निदेशकों की बैठकों में उपस्थिति की स्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों मे भाग लिया
1	2	3	4
रघुराम जी. राजन	8 (1) (ए)	6	6
हारून आर. खान	8 (1) (ए)	6	6
ऊर्जित आर. पटेल	8 (1) (ए)	6	6
आर. गांधी	8 (1) (ए)	6	6
एस.एस. मूँदड़ा	8 (1) (ए)	6	6
नचीकेत एम. मोर	8 (1) (बी)	6	6
वाई.सी. देवेश्वर	8 (1) (सी)	6	4
दामोदर आचार्य	8 (1) (सी)	6	5
नटराजन चंद्रसेकरन	8 (1) (सी)	2	2
भरत एन. दोशी	8 (1) (सी)	2	2
सुधीर मांकड	8 (1) (सी)	2	1
अनिल काकोडकर	8 (1) (सी)	2	2
किरण कर्णिक	8 (1) (सी)	2	2
वाई.एच. मालेगाम	8 (1) (सी)	2	2
दीपांकर गुप्ता	8 (1) (सी)	2	1
जी.एम.राव	8 (1) (सी)	2	1
इला भट्ट	8 (1) (सी)	2	1
इंदिरा राजारमन	8 (1) (सी)	2	2
हसमुख अढिया	8 (1) (डी)	2	1
अजय त्यागी	8 (1) (डी)	3	3
अंजुलि चिब दुग्गल	8 (1) (डी)	4	1
शक्तिकांत दास	8 (1) (डी)	3	2

सारणी 2: केंद्रीय बोर्ड की समिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों मे ंभाग लिया
I. केंदीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
रघुराम जी. राजन	8 (1) (ए)	47	31
हारून आर. खान	8 (1) (ए)	47	35
ऊर्जित आर. पटेल	8 (1) (ए)	47	20
आर. गांधी	8 (1) (ए)	47	29
एस.एस. मूँदड़ा	8 (1) (ए)	47	20
अनिल काकोडकर	8 (1) (बी)	10	02
किरण कर्णिक	8 (1) (बी)	06	06
नचीकेत एम. मोर	8 (1) (बी)	38	27
वाई.एच. मालेगाम	8 (1) (सी)	11	11
दिपांकर गुप्ता	8 (1) (सी)	05	04
जी.एम.राव	8 (1) (सी)	04	04
इला भट्ट	8 (1) (सी)	03	02
इंदिरा राजारमन	8 (1) (सी)	04	04
वाई.सी. देवेश्वर	8 (1) (सी)	38	00
दामोदर आचार्य	8 (1) (सी)	39	36
एन. चंद्रसेकरन	8 (1) (सी)	04	03
भरत एन. दोशी	8 (1) (सी)	07	06
सुधीर मांकड	8 (1) (सी)	06	03
II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
रघुराम जी. राजन	अध्यक्ष	10	9
हारून आर. खान	सदस्य	10	8
ऊर्जित आर. पटेल	सदस्य	10	8
आर. गांधी	सदस्य	10	8
एस.एस. मूँदड़ा	उपाध्यक्ष	10	9
नचीकेत एम. मोर	सदस्य	10	10
वाई.एच. मालेगाम	सदस्य	3	3
इला भट्ट	सदस्य	2	1
भरत एन. दोशी	सदस्य	3	3
सुधीर मांकड	सदस्य	3	1
III. भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
रघुराम जी. राजन	अध्यक्ष	4	4
हारून आर. खान	उपाध्यक्ष	4	3
ऊर्जित आर. पटेल	सदस्य	4	3
आर. गांधी	सदस्य	4	2
एस.एस. मूँदड़ा	सदस्य	4	4
अनिल काकोडकर	सदस्य	1	1
किरण एस. कर्णिक	सदस्य	1	1
दामोदर आचार्य	सदस्य	3	3
एन. चंद्रसेकरन	सदस्य	1	0
भरत एन. दोशी	सदस्य	1	1

सारणी 3: बोर्ड की उप-समितियां			
सदस्य का नाम	भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों मे ंभाग लिया
I. लेखापरीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
वाई.एच. मालेगाम #	अध्यक्ष	2	2
दीपांकर गुप्ता	सदस्य	2	2
इंदिरा राजारमन	सदस्य	2	2
वाई.सी. देवेश्वर	सदस्य	2	0
हारून आर. खान	आमंत्रित	5	4
ऊर्जित आर. पटेल	आमंत्रित	5	2
आर. गांधी	सदस्य	5	5
एस.एस. मूँदड़ा	आमंत्रित	5	2
नचीकेत एम. मोर	सदस्य	3	2
भरत एन. दोशी	अध्यक्ष	3	3
सुधीर मांकड	सदस्य	3	1
# 6 अक्तूबर, 2015 तक			
II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
जी.एम.राव @	अध्यक्ष	1	1
सुधीर मांकड	अध्यक्ष	1	1
वाई.सी. देवेश्वर	सदस्य	1	0
अनिल काकोडकर	सदस्य	1	0
हारून आर. खान	सदस्य	2	2
@: 22 सितंबर, 2015 तक			
III. मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
दामोदर आचार्य	अध्यक्ष	4	4
किरण एस. कर्णिक	सदस्य	2	2
एस.एस. मूँदड़ा	सदस्य	4	4
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
किरण एस. कर्णिक	अध्यक्ष	1	1
दामोदर आचार्य	सदस्य	1	1
हारून आर. खान	सदस्य	1	1